पत्र संख्या : 1/सी0—1014/2014—सा0 प्र0— **10667**/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
***

प्रेषक,

आर0 लक्ष्मणन, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना—15, दिनांक : **23** जुलाई, 2014

विषय :— **चयन वर्ष,2014 के लिए गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।**

प्रसंगः— **विभागीय पत्रांक—6735 दिनांक—22.05.2014 एवं पत्रांक—9191 दिनांक—07.07.2014 .**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि चयन वर्ष,2014 के लिए गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्रत्येक विभागों से **एक—एक** उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण वाले निष्कंलकित पदाधिकारियों की अनुशंसा **विभागीय पत्रांक—6735 दिनांक—22.05.2014** के मार्गनिर्देशों के तहत दिनांक—30.06.2014 तक आमंत्रित किये गए थे। विभागीय **पत्रांक—9191 दिनांक— 07.07.2014** अनुशंसा उपलब्ध कराने की तिथि 31.07.2014 तक विस्तारित की गयी थी।

2. मामले में लिए गए अद्यतन निर्णय के आलोक में कहना है कि विषयगत प्रयोजन के लिए प्रत्येक विभाग एक(01) पदाधिकारी के स्थान पर **विभागीय पत्रांक—6735 दिनांक—22.05.2014 के मार्गनिर्देशों के तहत दो (02)** पदाधिकारियों अनुशंसा कर सकते हैं। अर्थात, अगर एक पदाधिकारी की अनुशंसा किसी विभाग द्वारा की जा चुकी है, तब एक और पदाधिकारी की अनुशंसा उक्त विभाग द्वारा की जा सकती है। परन्तु, अपेक्षित अनुशंसाएँ सामान्य प्रशासन विभाग में दिनांक— 11.08.2014 तक प्राप्त करा दी जानी चाहिए। साथ ही, **विभागीय पत्रांक—6735 दिनांक—22.05.2014** (जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर सानुलग्नक उपलब्ध है) की कंडिका—3 के अधीन पात्र पदाधिकारियों के चयन के समय आरक्षित कोटि के पदाधिकारियों के प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। **उक्त कंडिका—3 निम्नवत् है :—**

" अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों तथा उनके विरूद्ध कोई प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित नहीं हो।"

3. संबंधित पदाधिकारियों की अपेक्षित गोपनीय चारित्रियों के साथ वित्तीय वर्ष, 2008—09 से वित्तीय वर्ष, 2012—13 की तिथिशः गोपनीय अभ्युक्तियाँ अवश्य उपलब्ध करायी जायें। किसी तिथि विशेष/अवधि विशेष की अभ्युक्ति किसी मान्य कारण से अभिलेखित न हो सकी हो , तब उक्त तिथि/अवधि के लिए अभ्युक्ति अभिलेखित नहीं होने संबंधी उपयुक्त कारण सहित प्रमाण —पत्र भी वांछित अभ्युक्तियों के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

4. अतः अनुरोध है कि **विभागीय पत्रांक—6735 दिनांक—22.05.2014** (जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर सानुलग्नक उपलब्ध है) एवं उपर्युक्त कंडिका—2 एवं 3 के आलोक में दो—दो पदाधिकारियों की अनुशंसा दिनांक— 11.08.2014 तक अभीष्ट कागजात/अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

31.7.
सरकार के अपर सचिव।